



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 11899 / अका. / सम्बद्धता / 2013

रायपुर, दिनांक : 06 / 09 / 2013

॥ आदेश ॥


विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 29.08.2013 की अनुशंसानुसार एवं आगामी कार्यपरिषद् के निर्णय एवं अनुमोदन की प्रत्याशा में शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, जिला-रायपुर को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Com.-II - (Compulsory Subject)	80	2013-14

शर्त :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
3. स्वीकृत पदों पर शिक्षकों की पदस्थापना अनिवार्य है। 30 सितम्बर, 2013 तक निर्धारित शिक्षकों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जावे। अतः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
4. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।


आदेशानुसार,


उप कुलसचिव (अका.) 5/9/13

पृ. क्रमांक : 11900 / अका. / सम्बद्धता / 2013
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 06 / 09 / 2013

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
3. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
5. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
6. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
7. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)


भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]


विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 11560/अका.। 2013 दिनांक 12.08.2013 के परिपालन में आज दिनांक 23.08.2013 को निरीक्षण समिति ने ऑ. काम. भाग-दो की सम्बद्धता प्रदान करने हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय को निरीक्षण किया।

- (1) महाविद्यालय का स्वयं का भवन है, अध्यापन कक्ष एवं फर्नीचर की व्यवस्था पर्याप्त है।
- (2) महाविद्यालय में वाणिज्य विषय के सहायक प्राध्यापक के दो पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं जिनमें से एक पद पर नियमित सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति शासन द्वारा की जा चुकी है तथा शेष एक पद पर अतिथि सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
- (3) शान्तालय में वाणिज्य विषय की पर्याप्त पुस्तकें नहीं हैं। ऑ. काम. भाग-दो की पाठ्यपुस्तकें क्रय करने हेतु लगभग ₹ 20,000 (बीस हजार) का क्रय आदेश जारी किया जा चुका है। लगभग ₹ 30,000 (तीस हजार) की पुस्तकें और क्रय करने की आवश्यकता है। समिति ऑ. काम. भाग-दो के लिए 80 सीट की अनुशंसा करती है।

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

संलग्न पृष्ठ क्र. 01 से 03 तक

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता


23/8/13 डॉ. पी. सी. अग्रवाल
समन्वयक

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता


23/8/2013
(डॉ. ए. करीम)

दिनांक 23.8.13

प्रति,
कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)